	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 21, बुधवार, शाके 1933–जनवरी 11, 2012 *Pausa 21, Wednesday, Saka 1933–January 11, 2012*	

3/

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 9, 2012

एस.ओ. 156:–वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम,1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 53) की धारा–35 की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3–3–2006 से "मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान" घोषित करने के विचार (INTENTION) की घोषणा की गई थी। जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10–3–2006 को हुआ। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा–35 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 से 26 ए (दोनों धाराओं सहित धारा 24 की उप–धारा 2 के खण्ड (C) के अतिरिक्त) की कार्यवाही सम्पादित कर व्यक्तिगत अधिकारों का निर्धारण एवं सामुदायिक अधिकारों के अधिग्रहण सम्बन्धी निर्णय दिनांक 19–8–2011 को प्रसारित किये गये हैं। जिला चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ द्वारा निर्णय दिनांक 6–8–2009 से समस्त अधिकारों का अधिग्रहण किया जा चुका है।

अतः वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 35 उप–धारा 4 के खण्ड (बी) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली कोटा व चित्तौड़गढ़ जिले की भूमियों को उनकी पारिस्थितिक प्राणी जातीय वनस्पतिय भू–संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी जातीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वन्य प्राणी संरक्षण, वृद्धि एवं उनके विकास तथा उनके पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान

(नेशनल पार्क) घोषित करती है, जिसे भविष्य में "मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान" के नाम से जाना जावेगा जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची

1	2
उत्तरी सीमा	गेपरनाथ के नाले के चम्बल नदी में मिलने के बिन्दु से गेपरनाथ नाले के साथ–साथ तत्पश्चात् चम्बल नदी के किनारे लोह डूंगरी ब्लॉक में नदी से एक किलोमीटर चौड़ाई तक (जो राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य की सीमा भी है एवं ब्लॉक लोह डूंगरी का भाग भी है) वनखण्ड बोराबास की सीमा तक तत्पश्चात् वनखण्ड बोराबास की उत्तर–पूर्वी सीमा तत्पश्चात् चांद बावडी ब्लॉक की उत्तर पूर्वी सीमा कोटा–बोराबास जाने वाले रास्ते तक (बोराबास ब्लॉक सम्मिलित करते हुए एवं बोराबास ग्राम को पृथक करते हुए) बोराबास से चांदबावड़ी जाने वाला मार्ग एवं फायर लाईन चांद बावड़ी वन खण्ड के कम्पार्टमेन्ट संख्या 1, 2, 3, 15, 16, 17 तथा वन खण्ड फूटा के कम्पार्टमेन्ट सं0 23 व 32 को सम्मिलित करते हुए फूटा वन खण्ड के कम्पार्टमेन्ट 31 व 34 के सम्मिलित बिन्दू तक तत्पश्चात् बिन्दू से वन खण्ड चांदबावडी की सीमा (ग्राम चांदबावड़ी के क्षेत्र को बाहर करते हुए) वन खण्ड झुमकिया की वन सीमा के साथ–साथ चांदबावड़ी गिरधरपुरा रास्ते तक व चांदबावड़ी रास्ते के साथ–साथ ग्राम गिरधरपुरा की राजस्व भूमि को बाहर निकालते हुए ग्राम गिरधरपुरा की सीमा के साथ–साथ पुनः गिरधरपुरा–चांद बावड़ी रास्ते के साथ–साथ (20 फुट रास्ते को बाहर निकालते हुए) ब्लॉक झुमकिया की सीमा के साथ–साथ वन खण्ड डोलिया के कम्पार्टमेन्ट संख्या 73, 72, 71, 70, 68, 61 की उत्तरी सीमा व इन कम्पार्टमेन्ट को सम्मिलित करते हुए वन खण्ड दामोदरपुरा के कम्पार्टमेन्ट नं0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ उक्त कम्पार्टमेन्ट को सम्मिलित करते हुये ब्लॉक दर्रा के कम्पार्टमेन्ट नं. 1 की उत्तरी सीमा (ब्लॉक दर्रा को सम्मिलित करते हुये) के साथ–साथ तत्पश्चात् मुम्बई–दिल्ली रेलवे लाईन तक।
पूर्व	मुम्बई–दिल्ली रेल्वे लाइन के साथ–साथ वन खण्ड मनोहरपुरा की सीमा (दरा धाटोली मार्ग)।

1	2
दक्षिण	दरा घाटोली मार्ग जो वनखण्ड मनोहरपुरा की सीमा भी है से मनोहरपुरा वन खण्ड की सीमा के साथ साथ अभ्यारण–ए की सीमा से मिलती है। तत्पश्चात अभ्यारण "ए" की सीमा के साथ–साथ (मनोहरपुरा ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए तत्पश्चात घाटोली–दामोदरपुरा रास्ते से दामोदरपुरा ग्राम सीमा के साथ साथ पुनः दामोदरपुरा घाटोली मार्ग (दामोदरपुरा घाटोली रास्ता 20 फुट एवं दामोदरपुरा ग्राम को बाहर निकालते हुए) तत्पश्चात वन खण्ड घाटोली को सम्मिलित करते हुए वन खण्ड घाटोली की सीमा के साथ वन खण्ड बुर्जवाली चौकी, कालाकोट, नीमकाखेड़ा एवं कोलीपुरा वन खण्डों की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ (इन वन खण्डों को सम्मिलित करते हुए) जो जिला कोटा व चित्तौड़गढ़ की सीमा भी है। तत्पश्चात् ग्राम कोलीपुरा के क्षेत्र एवं कोलीपुरा–रावतभाटा मार्ग को बाहर निकालते हुए (रूपपुरा कृषि भूमि सम्मिलित करते हुए) कोलीपुरा–रावतभाटा मार्ग के साथ साथ (वन खण्ड कान्या तालाव के कोलीपुरा–रावतभाटा मार्ग के दायीं ओर के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) तत्पश्चात ब्लॉक कान्या तालाव एवं थोलनपुर ब्लॉक की पश्चिम सीमा (दो ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए) से कोटा–बूंदी चित्तौड़गढ़ सीमा के कामन पाइन्ट तक।
पश्चिम	बूंदी चित्तौड जिला सीमा के कामन पोइन्ट से चम्बल नदी के साथ–साथ गेपरनाथ नाले के चम्बल नदी में मिलने के बिन्दु तक।

[संख्या प.11(56)वन/2001 पार्ट]
राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।